बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल बिहारशरीफ।

E-mail ID- irrigationdivbiharsharif@gmail.com Phone No. 7463889411

पत्रांकः– **/बिहारशरीफ,** **दिनांकः–...../...../2026**

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–26/2025–26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत प्रमण्डलाधीन कराये जा रहे विभिन्न कार्यो के सम्पादन, योजनाओं एवं नहरों का निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों के बैठक के भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु (04) चार अदद् नन ए0सी0 बोलेरो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित अवधि के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फार्म से मुहरबंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. विवरणी :–

क्र0सं0	कार्यान्वित अवधि	अदद्	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	01.04.2026 से 31.05.2026 एवं 01.11.2026 से 31.03.2027 तक	02	
2	01.06.2026 से 31.10.2026 तक	04	

2. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक–23.03.2026
3. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक–06.04.2026 को 10:30 बजे पूर्वोहन् से 3:00 बजे अपराह्न तक।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–06.04.2026 को अपराहन् 3:30 बजे।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

कोटेशन की अन्य शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. एकल वाहन स्वामी भी कोटेशन में भाग ले सकते है।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 01 एवं क्रमांक 02 पर अंकित अवधि तक लिया जायेगा। तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
3. वाहन का मॉडल 2020 (VS-vi) के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालात में होना चाहिए।
4. वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
5. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया इत्यादि उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा ही किया जायेगा।
6. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी एवं विपत्र से नियमानुकूल करों की कटौती अनिवार्य रूप से की जायेगी।
7. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा, प्रदुषण, प्रमाण–पत्र आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
8. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
9. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फार्म का होगा।

10. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिमाह की दर से ईंधन सहित देय होगा।

11. कोटेशन दाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्वरित करना होगा।

12. मासिक न्यूनतम दर समाहर्त्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा अद्यतन दर के बराबर या न्यूनतम उद्वरित दर के कोटेशन दाता के साथ रू0 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा एवं उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।

13. वाहन के उपयोग के लिये लौग बुक का संधारण वाहन मालिक के जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

14. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम् दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

15. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

16. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यावसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।

17. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फार्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दुगने दर से कटौती कर ली जायेगी।

18. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फार्म का चयन किया जायेगा।

19. कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात एवं शपथ पत्र जमा नही किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

20. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट wrd.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

पत्रांकः– 984 **/बिहारशरीफ,** **दिनांकः–**23/03/2026

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

23.03.2026

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

23/3/26